म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

कमांक/बोर्ड/लेखा/ 264 भोपाल, दिनांक 16/03/17

प्रति,

अपर/संयुक्त/उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक/तकनीकी कार्यालय (समस्त) ..... (म0प्र0)

विषयः–वेट अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही करने बावत्।
संदर्भः–कार्यालय सहायक आयुक्त निर्माणवृत्त 6 वाणिज्यिक कर भोपाल का पत्र कमांक/बाक/सहा./अ/6/विवरण/228 दिनांक 01.03.2017

–0–

संदर्भित पत्र के उल्लेख अनुसार म0प्र0 वेट अधिनियम की धारा 2002 की धारा 26 (1) एवं 26 (2) में दिनांक 05.04.2016 को परिवर्तन किये गये है जिसके अनुसार राशि रू. 5,000/– से अधिक के बिल पर आपूर्ति की जाने वाली वस्तु पर वेट कर का कटोत्रा किया जाने संबंधी प्रावधान है।

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियमो के परिपेक्ष्य में की जाने वाली कार्यवाही, कटौत्रा उपरान्त राशि शासकीय कोष में जमा का प्रावधान, प्रारूप अनुसार संबधितो को कटौत्रा विवरण देने हेतु नियत प्रारूप के साथ ही अधिनियम के अधीन दी जाने वाली शास्ति का विवरण का स्वरूप पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। संलग्न संशोधित विवरण के अनुसार तत्काल दिये गये निर्देशों के परिपेक्ष्य में कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जाकर कार्यवाही प्रगति से अवगत करावे।

अपर संचालक (वित्त) द्वारा अनुमोदित
संलग्नः–उपरोक्तानुसार

16/3/17
उपसंचालक (वित्त)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म.प्र. वेट अधिनियम की धारा 26(1), 26(2) के अंतर्गत कटौती की के संबंध में।

म0प्र0 वेट अधिनियम की धारा 2002 की धारा 26 में दिनांक 5.4.2016 को परिवर्तन किये गये है । जिनके संबंध में निम्नानुसार प्रावधान हैं –

सप्लाई के संबंध में प्रावधान–

विषयांतर्गत लेख है, कि म0प्र0 की वेट अधिनियम की धारा 26(1) के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो किसी डीलर एवं उसके मध्य हुई संविदा के अनुक्रम में किये जाने वाले विक्रय या आपूर्ति पर भुगतान करने का उत्तरदायी है। वह आपूर्तिकर्ता द्वारा दिये जाने वाले प्रत्येक 5000 रूपये से अधिक के बिल पर आपूर्ति की जाने वाली वस्तु की वेट की दर के बराबर कटौती करेगा। इस प्रावधान के अंतर्गत व्यक्ति का अर्थ है –

1. Department of the Central or The State Government
2. Public Sector undertaking, (which is not registered under M.P. Vat Act 2002).
3. Authority Constituted under Law relating to local Authority including a Gram Panchyat, Janpad Panchyat and a Zila Parishad.
4. Authority Constituted under any Law for the time being in force.
5. Public Limited Company, (which is not registered under M.P. Vat Act 2002).
6. All Dental Colleges Recognized by Dental Council of India and Hospital Associated to such Dental Colleges.
7. All Medical Colleges Recognized by Medical Council of India and Hospital Associated to such Medical Colleges.
8. All Recognized Universities.

संकर्म संविदा के संबंध में प्रावधान–

म.प्र. वेट अधिनियम की धारा 26(2) के प्रावधान के अनुसार संकर्म संविदा के निष्पादन (Letting out a work contract) के अनुक्रम में जहां कांट्रेक्ट वैल्यू 3 लाख रूपये से अधिक है उन पर यह प्रावधान लागू होगा।

यदि उक्त ठेका ऐसे किसी ठेकेदार को प्रदाय किया जाता है जो कि म.प्र. वेट अधिनियम के अधीन पंजीयत है , तो इस स्थिति में स्त्रोत पर कर की कटौती दर 2 प्रतिशत होगी। यदि ठेकेदार अपंजीयत है (जो म0प्र0 वेट अधिनियम के अंतर्गत पंजीयत नही है) तो भुगतान करने के पूर्व 3 प्रतिशत की दर से स्त्रोत पर कर की कटौती करना आवश्यक है। इसके अलावा वर्क्स कान्ट्रेक्ट पर टी.डी.एस के संबंध में विशेष प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

(क) यदि किसी कान्ट्रेक्टर द्वारा अपने वर्क्स कान्ट्रेक्ट के लिए धारा 11 – ए के तहत् कम्पोजिशन की सुविधा ली गई हैं तो भुगतान की जाने वाली राशि पर स्त्रोत पर कटौती उसी दर से की जावेगी, जिस दर से कान्ट्रेक्ट को कंपोजिशन की सुविधा दी गई हैं। यह दर 1 प्रतिशत अथवा 5 प्रतिशत् होती हैं तथा कान्ट्रेक्टर को वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी किये गये कंपोजिशन सर्टिफिकेट में यह उल्लेखित होती हैं।

(ख) यदि वर्क्स कान्ट्रेक्ट मे लेबर वर्क की राशि 50 प्रतिशत् से अधिक है तथा उक्त कान्ट्रेक्टर द्वारा धारा 11 – ए के तहत् कंपाजिशन की सुविधा नहीं ली गई है तो उक्त कान्ट्रेक्ट का भुगतान करने के पूर्व टी.डी.एस. 1 प्रतिशत् की दर से किया जावेगा।

(ग) यदि किसी कान्ट्रेक्टर को किसी कान्ट्रेक्टर के लिए वाणिज्यिक कर उपायुक्त द्वारा वेट अधिनियम की धारा 27 के तहत् 2 प्रतिशत् से कम दर से अथवा शून्य दर से टी.डी.एस. किए जाने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो उक्त कान्ट्रेक्ट के भुगतान पर तदानुसार न्यून दर से टी.डी.एस. किया जावेगा।

इस प्रावधान के अंतर्गत व्यक्ति का अर्थ है –

1. Department of the Central or The State Government
2. Public Sector undertaking. (which is not registered under M.P. Vat Act 2002).
3. Authority Constituted under Law relating to local Authority including a Gram Panchyat, Janpad Panchyat and a Zila Parishad.
4. Authority Constituted under any Law for the time being in force.
5. Public Limited Company. (which is not registered under M.P. Vat Act 2002).
6. All Dental Colleges Recognized by Dental Council of India and Hospital Associated to such Dental Colleges.
7. All Medical Colleges Recognized by Medical Council of India and Hospital Associated to such Medical Colleges.
8. All Recognized Universities.

कटौती के लिये दायित्वाधीन व्यक्ति अथवा विभाग के दायित्व

म.प्र. वेट अधिनियम को धारा 26(3) के अनुसार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति या प्राधिकारी जो उक्त अधिनियम की धारा 26 (1) अर्थात सप्लाई पर एवं 26 (2) प्रदाय किए गए सकर्म संविदा पर किए गए भुगतान पर स्त्रोत पर कर की कटौती का उत्तरदायी है, उसे कटौती किए जाने वाले माह के अगले माह की दस तारीख तक प्रारूप 27–ए में इस राशि को शासकीय कोषालय में जमा करना है। परन्तु यह और कि वर्ष के मार्च मास के प्रथम 25 दिन में की गई कटौती वर्ष के 30 मार्च या उसके पूर्व जमा की जाएगी तथा 26 मार्च से 31 मार्च में की गई कटौती आंगामी माह की 10 तारीख के पूर्व जमा की जाएगी। वर्तमान में प्रारूप 27–ए की व्यवस्था भारतीय स्टैट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एवं आई सी आई सी आई बैंक से ऑनलाइन है ।

इसके अतिरिक्त 26(1) अर्थात संप्लाई की स्थिति में प्रारूप–31 (कटौती का प्रमाण पत्र) आपूर्तिकर्ता को तथा सकर्म संविदा की स्थिति में प्रारूप–32 (कटौती का प्रमाण पत्र) ठेकेदार को प्रदान करना है।
म.प्र. वेट अधिनियम की धारा 26(8) के अनुसार, धारा 26(1) व धारा 26(2) के अधीन स्त्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को वित्तीय वर्ष समाप्ति के तीस दिवस में कटौती का विवरण

प्रारूप–35 में भरकर वृत्त जिसके क्षेत्राधिकार में वह आता है, के वाणिज्यिक कर अधिकारी को प्रस्तुत करेंगा (अर्थात जिस वृत्त कार्यालय से प्रारूप 31 अथवा 32 प्राप्त किया गया है)

अधिनियम के अधीन शास्ति

वेट अधिनियम की धारा 26(6) के अनुसार जो व्यक्ति या प्राधिकारी वेट अधिनियम की धारा 26(1),26(2) व 26(3) के अधीन प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन करने में निष्फल रहता है, वह कटौती की जाने वाली राशि के 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से एवं कुल राशि के 25 प्रतिशत राशि के अनधिक शास्ति का दायी होगा।

प्रारूप 31 तथा 32 प्राप्त करने का प्रावधान

जिस व्यक्ति को प्रारूप 31 अथवा 32 की आवश्यकता है वह संबंधित वाणिज्यिक कर वृत्त कार्यालय में प्रारूप 32–A में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है । वर्तमान में प्रारूप 31 तथा 32 ऑनलाइन नही है ।

ऐसे किसी भी खरीद पर अथवा वर्क्स कान्ट्रेक्ट पर टी.डी.एस. नहीं किया जावेगा जो मध्यप्रदेश राज्य के बाहर संपन्न हो रहा हो अथवा जिसके तहत् किसी माल का अंतर प्रांतीय क्रय – विक्रय हो रहा हो अथवा जहॉ किसी माल की खरीदी देश के बाहर से आयात के रुप में हो रही हो।

कार्यालय सहायक आयुक्त,निर्माण वृत्त 6,वाणिज्यिक कर भोपाल
वाणिज्यिक कर भवन , ई–5 बिट्टन मार्केट , अरेरा कालोनी भोपाल
फोन–0755–2421650, ई मेल– cto.bpl6@mptax.mp.gov.in

क्रमाक / वाक / सहा आ / 6 / विवरण /228 भोपाल दिनांक 1-3-2017

EMS SPEED POST
EI940653760IN

प्रति,

प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26.अरेरा हिल्स किसान भवन भोपाल
मो.न.9826407600
adfmpsamb@gmail.com.

विषय :– म.प्र. वेट अधिनियम 2002 की धारा 26 के तहत् स्त्रोत पर वेट की कटौती (टी.डी.एस.) किए जाने संबंधी प्रावधान।

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 26 में कतिपय स्थितियों में शासकीय विभागों के आहरण, संवितरण अधिकारियों द्वारा भुगतान किए जाने के पूर्व स्त्रोत पर वेट की कटोती किए जाने के प्रावधान हैं, जो निम्नानुसार हैं:–

1. विदित हो कि दिनांक 05/04/2016 से केन्द्र या राज्य सरकार का विभाग, स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित किसी विधि के अधीन गणित कोई प्राधिकरण जिसमें ग्राम पंचायत, कोई जनपद पंचायत या, कोई जिला पंचायत सम्मिलित हैं, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गणित प्राधिकरण, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त दंत चिकित्सा महाविद्यालय तथा ऐसे दंत चिकित्सा महाविद्यालय से सहबद्व चिकित्सालय, भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त चिकित्सा महाविद्यालय तथा ऐसे चिकित्सा महाविद्यालय से सहबद्व चिकित्सालय तथा समस्त मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के डी.डी.ओ. / कय से से संबंधित भुगतान करने वाले व्यक्ति द्वारा किसी व्यवसायी से रूपये 5,000/– से अधिक मूल्य की माल खरीद पर भुगतान किये जाने के पूर्व उस वेट राशि की स्त्रोत पर कटौती किया जाना अनिवार्य हैं, जो राशि विकेता व्यवसायी द्वारा उक्त माल के विकय पर वेट के रूप में देय है। यदि उक्त खरीद पर कम दर/शून्य दर से स्त्रोत पर कर की कटोती किये जाने संबंधित प्रमाण पत्र विकेता व्यवसायी द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाता हैं, तो उक्त प्रमाण पत्र में वर्णित दर से टी.डी.एस. किया जायेगा।
2. इसी प्रकार केन्द्र या राज्य सरकार का विभाग, सार्वजनिक उपकम (पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग, स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित किसी विधि के अधीन गठित कोई प्राधिकरण जिसमें ग्राम पंचायत, कोई जनपद पंचायत या कोई जिला पंचायत सम्मिलित हैं, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित प्राधिकरण, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त दंत चिकित्सा महाविद्यालय तथा ऐसे दंत चिकित्सा महाविद्यालय से सहबद्व चिकित्सालय, भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त चिकित्सा महाविद्यालय तथा ऐसे चिकित्सा महाविद्यालय से सहबद्व चिकित्सालय तथा समस्त मान्यता प्राप्त महाविद्यालय द्वारा किसी कांट्रेक्टर को रूपये 3 लाख से अधिक की राशि का वर्क्स कांट्रेक्ट, (अर्थात ऐसा कांट्रेक्ट जिसमें लेबर के साथ–साथ कुछ माल का अवयव भी कांट्रेक्टर द्वारा कांट्रेक्टरी को किया जाता हो) देने पर उक्त कांट्रेक्ट से संबंधित

पूर्ण/आंशिक भुगतान किए जाने के पूर्व, भुगतान की राशि पर बनने वाली 3 प्रतिशत (यदि कांट्रेक्टर इस विभाग से पंजीयत हो तो 2 प्रतिशत) राशि स्त्रोत पर कटौती वेट के रूप में किया जाना अनिवार्य हैं।

उक्त प्रावधान के अलावा वर्क्स कांट्रेक्ट पर टी.डी.एस. के संबध में विशेष प्रावधान निम्नानुसार हैं:–

(क) यदि किसी कांट्रेक्टर द्वारा अपने वर्क्स कांट्रेक्ट के लिए धारा 11–ए के तहत् कम्पोजिशन की सुविधा ली गयी हैं तो भुगतान की जाने वाली राशि पर स्त्रोत पर कटौती उसी दर से की जावेगी, जिस दर से कांट्रेक्टर को कंपोजिशन की सुविधा दी गई है। यह दर 1 प्रतिशत अथवा 5 प्रतिशत होती हैं तथा कांट्रेक्टर को वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी किये गये कंपोजिशन सर्टिफिकेट में यह उल्लेखित होती हैं।

(ख)- यदि वर्क्स कांट्रेक्ट में लेबर वर्क की राशि 50 प्रतिशत से अधिक हैं तथा उक्त कांट्रेक्टर द्वारा धारा 11–ए के तहत् कंपोजिशन की सुविधा नहीं ली गयी हैं तो उक्त कांट्रेक्ट का भुगतान करने के पूर्व टीडीएस 1 प्रतिशत की दर से किया जावेगा।

(ग) यदि किसी कांट्रेक्टर को किसी कांट्रेक्ट के लिए वाणिज्यिक कर उपायुक्त द्वारा वेट अधिनियम की धारा 27 के तहत् 2 प्रतिशत से कर दर से अथवा शून्य दर से टीडीएस किए जाने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता हैं तो उक्त कांट्रेक्ट के भुगतान पर तदानुसार न्यून दर से टी.डी. एस. किया जावेगा।

3. उपरोक्तानुसार टी.डी.एस. करने के पश्चात् डीडीओ द्वारा टी.डी.एस. की राशि कोषालय में जमा की जावेगी। जिस माह में टी.डी.एस. किया गया हैं, उसके अगले माह की 10 तारीख के पूर्व टी.डी.एस. की राशि का भुगतान कोषालय में किया जाना अनिवार्य हैं। कोषालय में टी.डी.एस. की राशि जमा करने के 10 दिन के अन्दर डीडीओ द्वारा विक्रेता व्यवसायी/कांट्रेक्टर को फार्म 31 (माल की खरी पर) फार्म 31/32 (वर्क कांट्रेक्ट पर) के रूप में प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। फार्म 31/32 डी.डी.ओ. द्वारा अपने क्षेत्र से संबंधित वाणिज्यिक कर वृत्त कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

4. यदि किसी डीडीओ द्वारा उपरोक्तानुसार टी.डी.एस. नहीं किया जाता हैं अथवा टीडीएस की राशि का भुगतान कोषालय मे नियत तिथि तक नही किया जाता हैं तो वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उक्त डीडीओ पर टी.डी.एस की राशि के 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति आरोपित की जा सकती हैं, जो टी.डी.एस की राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत हो सकता हैं। इस शास्ति के अतिरिक्त टी.डी.एस की वह राशि संबंधित डीडीओ से भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकती हैं।

5. टी.डी.एस करने वाले प्रत्येक डीडीओ के लिए यह अनिवार्य हैं कि वह मध्यप्रदेश वेट नियम 45(4) के तहत प्रत्येक वित्तिय वर्ष के समाप्ति के 30 दिन के अंदर अपने क्षेत्र से संबंधित वाणिज्यिक कर वृत्त कार्यालय में प्रारूप 35 मे एक स्टेटमेंट प्रस्तुत करेंगे। जिसमें उस वर्ष में किए गए समस्त टी.डी.एस का विवरण होगा।

6. ऐसे किसी भी खरीद पर अथवा वर्क्स कांट्रेक्ट पर टी.डी.एस नहीं किया जावेगा जो मध्यप्रदेश राज्य के बाहर सम्पन्न हो रहा हो अथवा जिसके तहत किसी मा का अंतर प्रांतीय क्रय–विक्रय हो रहा हो अथवा जहां किसी माल की खरीदी देश के बाहर से आयात के रूप में हो रही हो।

7. विदित हो कि डी.डी.ओ. धारा 26(1) एवं 26(2) के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 तक काटी गयी राशि 31 मार्च 2017 तक शासकीय कोषालय में जमा करवा दें।

सहायक आयुक्त
वाणिज्यिक कर
भोपाल वृत्त–6

सहायक आयुक्त वाणिज्यिक-कर
भोपाल वृत्त-6

सहायक आयुक्त वा. कर